



राजस्थान राजपत्र

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

माघ 18, गुरुवार, शाके 1934—फरवरी 7, 2013
Magha 18, Thursday, Saka 1934—February 7, 2013

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 31, 2013।

संख्या प.23(2)वि. एवं स्वा.3/2003 पार्ट — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-12-2006 एवं 19-11-2007 को अधिकारीमेत करते हुए तथा गर्भधारण-पूर्व और प्रदत्त-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 01-07-2003, जिरके द्वारा राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी, के क्रम संख्या-3 राज्य के विधि विभाग का एक अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) के रूप में संयुक्त विधि परामर्शी (वांदकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर का मनोनयन करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
चुनी लाल कायल,
संयुक्त शासन सचिव।

745

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।